

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उपखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक 24 / ग्रा0अ0वि0 / 2023-24

दिनांक 17/07/23

सेवा में,

प्रबन्धक,

प्रकाश पब्लिक स्कूल

दयालवाला रोड मण्डावर


जिला बिजनौर।

विषय:- प्रकाश पब्लिक स्कूल दयालवाला रोड मण्डावर जिला-बिजनौर का भवन एन0बी0सी0-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2023 जो मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर के इन्डेक्स पत्रांक एल-379 दिनांक 30.06.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके क्रम में प्रकाश पब्लिक स्कूल दयालवाला रोड मण्डावर जिला बिजनौर द्वारा एन0बी0सी0 2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न मानचित्रों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कर एन0बी0सी0-2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला-बिजनौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


2- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

Manager
Prakash Public School
MANDAWAR (Bijnor)



AK D 805

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
उपखण्ड-बिजनौर।



Principal
P. P. S. MANDAWAR
BIJNOR

-:: प्रमाण पत्र ::-


आज दिनांक 17.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकाश पब्लिक स्कूल दयालवाला रोड मण्डावर जिला- बिजनौर द्वारा विधालय भवन का निरीक्षण किया गया, उक्त विधालय भवन दो मजिला बना हुआ है जिसकी छत एवं दिवारों को निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप , ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कक्षा कक्ष हवादार एवं रोशनी युक्त है तथा भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी हुई है उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है । विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त प्रमाण पत्र जारी होने कि दिनांक से 5 वर्ष तक वैध रहेगा।



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण आभयन्त्रण विभाग
एचएच08 - बिजनौर



Manager
Prakash Public School
MANDAWAR (Bijnor)


Aug 23
Principal
P. P. S. MANDAWAR
BIJNOR


प्रकाश. परिलोक स्थूल ध्यातवाला शेट मण्डावर जिला विज्ञान

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं?	02 ✓
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हैक्टेयर (4000वर्ग मी०) है?	हाँ ✓
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	पार्किंग के लिए जगह कम है सेट बैंक में है ✓
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ ✓
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं ✓
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ ✓
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ ✓
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं ✓
9	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ ✓
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी. है?	हाँ ✓
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ, नहीं ✓
12	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ ✓
13	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ ✓
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ ✓
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा गड्ज 150 मिमी० है?	हाँ ✓
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ ✓
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ ✓
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं ✓
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ ✓
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं ✓

21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया ?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	नहीं
23	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती हैं?	हैं
24	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हैं
	विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट	—
25	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 2.5मी0 एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2मी0 है?	—
26	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (1000 वोल्ट या अधिक की न्यूनतम वर्टीकल ऊंचाई 3.70मी0 है एवं होरीजोन्टल दूरी 2.0 मी0 है?	—
27	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	—
28	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?	—
	अग्नि सुरक्षा संबंधी चैक लिस्ट	—
29	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	—
30	क्या भवन में अग्निशानक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
31	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
32	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
33	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	—

उपलब्ध कराये गये डिजायन इंजीनियर/आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्रों एवं मानचित्रों के आधार पर विद्यालय NBC-2005 के अनुरूप एवं प्रथम दृष्टया सुरक्षित है।


 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
 ६५६०६ - बिजनौर